न्यायालय जिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर

विविध बैंक प्रकरण संख्या । 60 /2023(GCMS : 2023/332)

ए यू स्मॉल फाईनेंस बैंक लिमिटेड (पूर्व में ए यू फाईनेंसर्स इण्डिया लिमिटेड के नाम से जाना जाता था) शाखा कार्यालय–4–ई–8–जवाहरनगर, प्रथम तल, मीरा चौक रोड़, नजदीक गौड़ हास्पीटल, श्रीगंगानगर जरिये अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता–पोर्टफोलियो कलैक्शन मैनेजर मनोज कुमार पुत्र श्री महावीर प्रसाद।

बनाम

1. **प्रहलाद राय** पुत्र श्री ओम प्रकाश निवासी वार्ड नं. 12, 60 एलएनपी, तहसील पदमपुर, जिला श्रीगंगानगर पिन 335061
2. **उर्मिला पत्नी** श्री प्रहलाद राय निवासी वार्ड नं. 12, 60 एलएनपी, तहसील पदमपुर, जिला श्रीगंगानगर पिन 335061

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

06.12.2023

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी बैंक/कम्पनी ने जरिये अधिवक्ता श्री राजीव मेहन्दीरत्ता ने एक प्रार्थना पत्र वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के अन्तर्गत प्रस्तुत किया है कि प्रार्थी बैंक/कम्पनी द्वारा अप्रार्थीगण प्रहलाद राय एवं उर्मिला को ऋण सुविधा के रूप में राशि 2.50/– लाख रूपये (अखरे रूपये दो लाख पचास हजार मात्र) के ऋण राशि की स्वीकृति दिनांक 31.10.2021 को प्रदान की थी। ऋण की सुरक्षा की एवज में **अप्रार्थी प्रहलाद राय द्वारा बंधक रखी अपनी अचल सम्पत्ति पट्टा नं.461, बुक नं. 10 (क्षेत्रफल 1058 सक्वायर फीट) ग्राम पंचायत रिडमलसर, पंचायत समिति पदमपुर, जिला श्रीगंगानगर,** का भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक को पुलिस की सहायता से दिलाया जाने की प्रार्थना की है।

मैने, पत्रावली में उपलब्ध उनके प्रार्थना पत्र धारा 14, शपथ पत्र एवं अन्य उपलब्ध दस्तावेजात का भी अवलोकन किया तो पाया कि उक्त प्रार्थना पत्र के अनुसार प्रार्थी बैंक ने **अप्रार्थी प्रहलाद राय को ऋण सुविधा के रूप में** राशि 2.50/– लाख रूपये (अखरे रूपये दो लाख पचास हजार मात्र) **की राशि की स्वीकृति दिनांक 31.10.2021 को प्रदान की थी।** ऋण की सुरक्षा की एवज में **अप्रार्थी प्रहलाद राय द्वारा बंधक रखी अपनी अचल सम्पत्ति पट्टा नं.461, बुक नं. 10 (क्षेत्रफल 1058 सक्वायर फीट) ग्राम पंचायत रिडमलसर, पंचायत समिति पदमपुर, जिला**

Signature Not Verified
Digitally signed by Ansh Deep Rain
Date: 2023.12.08 17:48:47 IST
Reason: SelfAttested

जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर

श्रीगंगानगर अथवा ग्राम पंचायत वार्ड नं. 12 (क्षेत्रफल 117.55 स्केयर यार्ड) 60 एलएनपी जिला श्रीगंगानगर, राजस्थान अथवा रामकुमार की सम्पत्ति अहाता/ प्लॉट नं. 282, पश्चिम वाला भाग (क्षेत्रफल 1250 सक्वायर फुट), चक 39 एलएनपी, तहसील पदमपुर, जिला श्रीगंगानगर, प्रार्थी बैंक के पास रहन रखी। प्रार्थी बैंक के प्रार्थना धारा 14 एवं उसके समर्थन में प्रस्तुत दस्तावेजात एवं शपथ पत्र के अनुसार अप्रार्थी ऋणी का खाता दिनांक 11.05.2023 **को अनर्जक परिसम्पत्ति (एन.पी.ए.)** हो गया। बैंक द्वारा अप्रार्थी ऋणी को धारा **13(2) के नोटिस दिनांक 17.05.2023** को जारी किये है और रजिस्टर्ड डाक से दिनांक 20.05.2023 भिजवाये जाने की पोस्ट ऑफिस की रसीद संलग्न है, जिसके अनुसार अप्रार्थीगण को धारा 13(2) के नोटिस की तामील हो गई है।

वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर कार्रवाई करने के लिए विवादग्रस्त सम्पत्ति जिसका भौतिक कब्जा चाहा जा रहा है वह सम्बन्धित जिला मजिस्ट्रेट के क्षेत्राधिकार में होना आवश्यक है और दूसरा सम्बन्धित ऋणियों पर धारा 13(2) के नोटिस की तामील ऋणियों/जमानतदारों पर विधिवत् रूप से होनी आवश्यक है।

जहां तक अप्रार्थी ऋणी पर धारा 13(2) के जारी नोटिस 17.05.2023 की तामील का प्रश्न है। प्रार्थना पत्र के अनुसार दिनांक 17.05.2023 को 60 दिवस में राशि जमा करवाने का धारा 13(2) के नोटिस अ**प्रार्थीगण को रजिस्टर्ड डाक दिनांक 20.05.2023 को भिजवाया गया है, जिसके परिणामस्वरूप अप्रार्थीगण के धारा 13(2) नोटिस प्राप्ति के ऑनलाईन ट्रैक पत्रावली में उपलब्ध है, इसके अतिरिक्त प्रार्थी बैंक ने धारा 13(2) के नोटिस दो समाचार पत्रों दैनिक नवज्योति एवं दी इण्डियन एक्सप्रेस में दिनांक 08.06.2023 को प्रकाशित करवाये है** जिसके अनुसार अप्रार्थीगण को धारा 13(2) के नोटिस की तामील होना विधिवत् प्रमाणित है। इसके बावजूद भी अप्रार्थीगण ने बैंक की समस्त बकाया ऋण राशि जमा नही करवाई है **और न ही शपथ पत्र के अनुसार नोटिस पर कोई आपत्ति या अभ्यावेदन प्रस्तुत किया** है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ansh Deep Ralh
Date: 2023.12.08 17:48:47 IST
Reason: SelfAttested

जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर

जहां तक ऋण की एवज में बंधक रखी गई सम्पत्ति जो प्रार्थी बैंक के पास बंधक रखी हुई है, का सम्बन्ध है। प्रार्थी बैंक ने अपने प्रार्थना पत्र में प्रहलाद राय की सम्पत्ति पट्टा नं. 461, बुक नम्बर 10 (क्षेत्रफल 1058 सक्वायर फीट), ग्राम पंचायत रिडमलसर, पंचायत समिति, पदमपुर, **खाते के विवरण में राम कुमार** की सम्पत्ति अहाता/प्लॉट नं. 282 पश्चिम वाला भाग (क्षेत्रफल 1250 सक्वायर फुट), चक 39 एलएनपी, तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर एवं **नोटिस धारा 13(2) में Property Situated** At Gram Panchayat, Ward No. 12, 60 LNP, **Distt.- Ganganagar, Rajasthan(Measuring 117.55 Sqyds Owned by.** अंकित **किया है। इस प्रकार प्रार्थी बैंक ने अपने प्रार्थना पत्र/खाते का विवरण/धारा 13(2) के नोटिस पर अलग–अलग सम्पत्ति अंकित कर प्रार्थना पत्र पेश किया है जो** स्वीकार करने योग्य नहीं है।

चूंकि प्रार्थी बैंक ने अपने प्रार्थना पत्र/खाते का विवरण/धारा 13(2) के नोटिस में अलग अलग सम्पत्तियों का विवरण अंकित किया है, जिससे ये ज्ञात नहीं होता कि वास्तव में प्रार्थी बैंक/कम्पनी द्वारा किस सम्पत्ति का कब्जा चाहा जा रहा है, इसलिए प्रार्थी बैंक/कम्पनी ए यू स्मॉल फाईनेंस बैंक लिमिटेड का उक्त प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 स्वीकार करने योग्य नहीं है। **प्रार्थी बैंक का उक्त प्रार्थना खारिज किया जाता है। प्रार्थी बैंक उक्त अधिनियम 2002 की पूर्ण पालना करते हुए अप्रार्थीगण को पुनः धारा 13(2) के नोटिस जारी कर, सम्पूर्ण कार्यवाही नये सिरे से कर तथा समस्त दस्तावेजों में सही सम्पत्ति(जिसका वह कब्जा चाहा जा रहा है) अंकित कर, पुनः धारा 14 का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने के लिए स्वतन्त्र है।** आदेश की प्रति प्रार्थी बैंक को पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली दर्ज रजिस्टर होकर, बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ansh Deep Ralh
Date: 2023.12.08 17:48:47 IST
Reason: SelfAttested

यह आदेश आज दिनांक 08.12.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अंशदीप)

जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर